भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं 1477 **-**

दिनांक सितम्बर 20, 2020 को उत्तरार्थ

पंचायत चुनावों में भ्रष्टाचार और खरीद फरोख्त-

1477:श्री राजवीर दिलेर .

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्षेत्रीय पंचायत चुनावों में वित्तीय भ्रष्टाचार और उनकी खरीदफरोख्त को खत्म - सरकार द्वारा करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जनता द्वारा पंचायत प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव या अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग)यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है ?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री
(श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क)'पंचायतहोने के कारण 'स्थानीय शासन' ', राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। संविधान के खंड IX के अनुच्छेद 243(खमें (प्रत्येक राज्य में विभिन्न स्तरों पर पंचायतों के गठन का प्रावधान है। तदनुसार, पंचायतें संबंधित राज्य के पंचायती राज अधिनियम के अनुरूप कार्य करती हैं। संविधान के अनुच्छेद ट में 243 पंचायतों के लिए सभी चुनाव कराने और इन चुनावों के लिए निर्वाचक नामावली की तैयारी के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित की गई है, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। इसके अलावा, संविधान के प्रावधानों के अध्यधीन, किसी राज्य की विधायिका, विधि द्वारा, पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित या इससे संबद्ध सभी मामलों के संबंध में प्रावधान बना सकती है।

जी हां (ग) और (ख), पंचायती राज मंत्रालय को आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव कराने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से दिनांक अक्टूबर 10,को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। पंचायती राज मंत्रालय ने इस 2019 क्षेत्र की सरकारों से-संघ राज्य/विषय पर विचार और टिप्पणी के लिए सभी राज्यअनुरोध किया है। राज्यों क्षेत्रों से प्राप्त विचार-संघ राज्य/**अनुबंध** में दिए गए हैं।

***

अनुबंध

दिनांक .2009.2020 को लोकसभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या और (ख) के भाग 1477 के उत्तर के संदर्भ में अनुबंध । (ग)

क्र.सं.	**राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र**	**मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों से प्राप्त विचार**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	प्रत्यक्ष निर्वाचन की आवश्यकता है ।
2	असम	प्रत्यक्ष निर्वाचन की आवश्यकता है।
3	बिहार	अप्रत्यक्ष निर्वाचन सही हैं ।
4	छत्तीसगढ़	अप्रत्यक्ष निर्वाचन सही हैं ।
5	गुजरात	अप्रत्यक्ष निर्वाचन सही हैं ।
6	हिमाचल प्रदेश	अप्रत्यक्ष निर्वाचन सही हैं ।
7	कर्नाटक	अप्रत्यक्ष निर्वाचन सही हैं ।
8	पंजाब	अप्रत्यक्ष निर्वाचन सही हैं ।
9	सिक्किम	प्रत्यक्ष निर्वाचन की आवश्यकता है।
10	उत्तराखंड	प्रत्यक्ष निर्वाचन की आवश्यकता है।
11	उत्तर प्रदेश	प्रत्यक्ष निर्वाचन की आवश्यकता है।
12	पश्चिम बंगाल	अप्रत्यक्ष निर्वाचन सही हैं ।